कार्यवृत्त

सोमवार, 19 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1936

(दिनांक 09 जून, 2014 ई0)

खण्ड-39
अंक-03

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, गैरसैंण में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री तीरथ सिंह रावत, अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर प्रदेश में गत वर्ष आई आपदा के कारण प्रभावित लोगों तथा क्षतिग्रस्त मार्गों आदि के पुनर्निर्माण संबंधी अपनी नियम-310 की सूचना पर चर्चा कराने की मांग उठाने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे इसे नियम-58 में प्रश्न काल के बाद ग्राह्यता पर सुन लेंगे, कृपया प्रश्न काल होने दें।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

आज नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त 14 सूचनाओं में से निम्नांकित विषयों पर 07 सूचनाएं स्वीकृत हुईं, जिनमें से श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य विधान सभा द्वारा सूचना पढ़ी गयी तथा शेष सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना,	"महाविद्यालयों के अभाव में छात्र-छात्राओं का उच्च शिक्षा से वंचित रहने के कारण हो रहें आक्रोश के संबंध में।"
2. श्री राजेश शुक्ला,	जनपद उधमसिंह नगर में ए0डी0बी0 तृतीय फेज में प्रस्तावित किच्छा विधान सभा क्षेत्र की लालपुर-आनन्दपुर मोड़ का निर्माण न होने से आम जनता को हो रही कठिनाई विषयक।
3. श्री ललित फर्स्वाण,	"जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा रमसा के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का दुरूपयोग किये जाने के संबंध में।"
4. श्री प्रेम सिंह राणा,	"नानकमत्ता विधान सभा को विभिन्न ग्राम पंचायतों, विभिन्न स्थानों एवं जगह-जगह पर बिजली के तारों के झूलने से बने खतरे के संबंध में।"
5. श्री चन्दन राम दास,	विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में स्थित बैल नजदे बुंगर गांव मोटर मार्ग 1998 से स्वीकृत होने के बाद भी अभी तक निर्माण न होने के संबंध में।
6. श्री यतीश्वरानन्द,	अनुपस्थित,
7. श्री विशन सिंह चुफाल	"जनपद पिथौरागढ़ में विकासखण्ड कनालीछीना ग्राम पंचायत ख्यांतड़ी के ग्राम-ज्वेता जा अनुसूचित जाति का गांव के में 20 वर्ष पूर्व पेयजल योजना के क्षतिग्रस्त होने से पेयजल समस्या के संबंध में।"

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-310 में 01 सूचना प्राप्त हुई है, जो प्रदेश में गत वर्ष आई आपदा के कारण प्रभावित लोगों का उचित राहत न मिल पाने तथा आपदा में क्षतिग्रस्त अवस्थापना सुविधाओं के पुनर्निर्माण के लिए कोई ठोस योजना न बन पाने के संबंध में है, को नियम-58 में ग्राह्यता पर सून लूंगा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (अध्यादेश संख्या-02 वर्ष 2014) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (अध्यादेश संख्या-03 वर्ष 2014) को सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि :-

(1) उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का पहला अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का दूसरा अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का तीसरा अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का चौथा अधिनियम बन गया।

(5) हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 17 फरवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का पाँचवां अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का छठवां अधिनियम बन गया।

(7) उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का सातवां अधिनियम बन गया।

(8) उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का आठवां अधिनियम बन गया।

(9) उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का नवां अधिनियम बन गया।

(10) भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का दसवां अधिनियम बन गया।

(11) उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का ग्यारवां अधिनियम बन गया।

(12) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का बारहवां अधिनियम बन गया।

(13) उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का तेरहवां अधिनियम बन गया।

(14) उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का चौदहवां अधिनियम बन गया।

(15) उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

(16) उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 20 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का सोलहवां अधिनियम बन गया।

श्री राजकुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा "देहरादून पुराने बस अड्डा गांधी रोड की जमीन को सरकार के उपयोग में लिए जाने के सम्बन्ध में" श्री दिलशाद कुरैशी निवासी इनामुल्ला बिल्डिंग, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई। 1

श्री राजकुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद देहरादून के गांधी नेत्र चिकित्सालय प्रीतम रोड (डालनवाला) के निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री महेश रावत, निवासी प्रीतम रोड (डालनवाला क्षेत्र) एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई। 2

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद पिथौरागढ़ में बेरीनाग-नरगोली-खातीगांव मोटर मार्ग के शेष 3.05 कि0मी0 में निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री लक्ष्मण सिंह रौतेला, निवासी ग्राम व पो0 नरगोली, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई। 3

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद-बागेश्वर कपकोट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज देवतोली में रिक्त प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में" श्री भगवत सिंह रौतेला, निवासी-ग्राम व पो0 नरगोली, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई। 4

श्री राजकुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा "देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत जल संस्थान द्वारा की गयी खुदाई से अनेकों स्थानों पर पानी एवं सीवर लाईन आपस में मिल जाने के सम्बन्ध में" श्री अशोक कुमार निवासी 106/3 मोहिनी रोड देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई। 5

श्री राजकुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा "देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत जे0एन0एन0यू0आर0एम0 द्वारा निर्मित ओवरहेड टैंक से पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री अशोक कुमार, निवासी-संजय कालोनी देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई। 6

श्री मदन कौशिक द्वारा नियम-65 के अन्तर्गत विधान सभा का सत्र आहूत किये जाने के उपरान्त दिनांक 05 जून, 2014 को कैबिनेट की बैठक कर नीति संबंधी घोषणा सदन से बाहर मिडिया में किये जाने संबंधित सूचना पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे इसका परीक्षण करा लेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2014 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक 2014 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक 2014 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 06 जून, 2014 की बैठक में दिनांक 09 जून, 2014 से 11 जून, 2014 तक के कार्यक्रम निम्नवत रखे जाने की सिफारिश की है:-

जून 2014

09 सोमवार	1.	औपचारिक कार्य।
	2.	अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखा जाना।
	3.	अनुपूरक मांगों का प्रस्तुतिकरण (04:00 बजे अपराह्न)
10 मंगलवार	1.	विधायी कार्य।
	2.	अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान।
11 बुधवार	1.	विधायी कार्य (आधा दिवस)।
	2.	अशासकीय कार्य।

निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा:-

1. **श्री नवप्रभात,** "सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान" की भांति "यमुना स्वच्छता अभियान" स्वीकृत किया जाय। इस अभियान के कियान्वयन के लिये "गंगा विकास प्राधिकरण" की भांति "यमुना विकास प्राधिकरण" का गठन भी किया जाय।

2. **श्री मदन कौशिक,** "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य के पर्यावरण को स्वच्छ रखने एवं प्रदूषण को समाप्त करने के लिये एक स्पष्ट नीति बनायी जाय। नीति में राज्य के अधिकार के बाहर के विषयों को सदन के माध्यम से भारत सरकार को भेजा जाय तथा भारत सरकार से अनुरोध किया जाय कि राज्य हित में इन विषयों को तत्काल लागू करें।"

3. **श्री भीम लाल आर्य** "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) में स्थित प्रसिद्ध टिहरी बांध के ऊपर आम जनता को आवागमन की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु समुचित कार्यवाही की जाय"

1. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :- **(15 मिनट)**

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।"

2. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :- **(15 मिनट)**

"इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।"

3. श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम- 105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :- **(15 मिनट)**

"उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।"

4. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :- **(15 मिनट)**

"यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय।"

5. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :- **(15 मिनट)**

"दिनांक 22.03.2013 से राज्य में उत्तराखण्ड चैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली वर्ष 2013 लागू हो गयी है।

उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति अभी भी बहुत संतोषजनक नही है विशेषकर सदूर पर्वतीय क्षेत्रों में तो चिकित्सा सुविधा का लगभग अभाव हैं।

राज्य सरकार को चिकित्सा सुविधा विशेषकर सुपर स्पेशिलिटी के क्षेत्र में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

हमारे राज्य के निवासियों को सस्ती दरों पर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है, परन्तु इस नियमावली के प्रावधानों से चिकित्सा सुविधा का खर्च बहुत अधिक बढ़ता हुआ प्रतीत होता है।

इस स्थिति में राज्य में निजी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा का विकास जनहित में आवश्यक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी इस नियमावली पर ही आधारित होगी।

यह नियमावली केन्द्र सरकार के अधिनियम 2010 पर आधारित है। उत्तराखण्ड के विशेष भौगोलिक तथा अवस्थापना स्थितियों के अनुरूप इसे संशोधित तथा परिवर्तित नही किया गया है।

इण्डियन मेडिकल ऐशोसियेशन **U.A. State Branch** ने इस नियमावली पर अपने सुझाव शासन के समक्ष प्रस्तुत किये है, परन्तु अभी तक समस्या के निदान के लिये कार्यवाही नही हो सकी है।"

6. श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:- **(15 मिनट)**

"विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊँचाई के क्षेत्र में मृग विहार बनने से ठप्प हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार बनाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाय"

7. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :- **(15 मिनट)**

"जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में खनन का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षो से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।"

8. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा हेतु:- **(15 मिनट)**

"प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करेगी।"

9. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:- **(15 मिनट)**

"उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने।"

10. श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत 20 फरवरी, 2014 नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:- **(15 मिनट)**

"उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय राज्य में 95 विकास खण्ड ईकाई गठित थी। आज भी इनकी संख्या 95 ही है।

राज्य गठन के पश्चात् ग्राम सभाओं का लगातार पुनर्गठन किया गया है तथा ग्राम सभाओं की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य गठन के पश्चात् नवीन तहसील स्थापित करने का कार्य भी हुआ है। नये राज्य में विधान सभा क्षेत्र भी बढ़ कर 70 हो गये हैं।

इन परिवर्तनों के कारण एक विकास खण्ड एक से अधिक विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, जिससे नियोजन एवं विकास के कार्यों में भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। एक विकास खण्ड के एक से अधिक तहसीलों में विभाजित होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से भी भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं।

विकास की मूलभूत ईकाई विकास खण्ड के पुनर्गठन का कार्य न होने के कारण छोटे राज्य के निर्माण के मूल लक्ष्य, विकास से सुदूर क्षेत्र का नजदीकी सम्बन्ध की अवधारणा पूरी नहीं हो पा रही है।

शासन स्तर पर विकास खण्ड पुनर्गठन के विषय को यह कहकर लम्बित रखा जा रही है कि योजना आयोग भारत सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा "जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी।"

11. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 प्रस्तुत नियम 54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:- (15 मिनट)

"जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून शहर, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभायें आती हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005-25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठन के पश्चात् प्राधिकरण नई महायोजनायें घोषित तथा लागू कर चुका है।

पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005-2025 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया है:-

1. मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकरना, 3. सिखोली, 4. क्यासकुली भट्ट, 5. थामासारी, 6. लाली, 7. कार्लीगाड, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. खाराखेत, 11. बिधौली, 12. मिस्सरास पट्टी, 13. भितरली, 14, मझाड़ा, 15. मोहम्मदपुर बडकली, 16. फालदूवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. बागल, 20. बागल ज्वालापुर, 21. सिमलास ग्रांट।

उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है।

मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।

प्राधिकरण ने अपने गठन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्व का प्रश्न है।

अधूरे क्षेत्र की महायोजना का घोषित किया जाना,जोनल प्लान का न बनना, सैक्टर प्लान का न बनना, घोषित महायोजना की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है परिणामस्वरूप घोषित भू उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं।

महायोजना 2005-25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन सम्बन्धी।"

12. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर, चर्चा:-(15 मिनट)

"उत्तराखण्ड राज्य में "ईको सेंसटिव जोन" को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जायें।"

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

नियम-310 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुनने के लिए श्री अजय भट्ट, मा0 नेता प्रतिपक्ष का नाम पुकारे जाने पर विपक्ष के सभी मा0 सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर नियम 310 की सूचना, नियम- 310 के अन्तर्गत ही सुनने की मांग करने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि पीठ से निर्णय आ चुका है कि नियम-310 की सूचना नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सून लूंगा। अतः यह सूचना नियम-58 के अन्तर्गत ही ग्राहयता पर सुनी जायेंगी।

प्रदेश में गत वर्ष आई आपदा के कारण प्रभावित लोगों का उचित राहत न मिल पाने तथा आपदा में क्षतिग्रस्त अवस्थापना सुविधाओं के पुनर्निर्माण के लिए कोई ठोस योजना न बन पाने विषयक उक्त सूचना की ग्राह्यता के संबंध में मा0 नेता प्रतिपक्ष श्री अजंय भट्ट ने अपने विचार व्यक्त किये।

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01:00 बजे भोजनावकाश हेतु 03:00 बजे तक के लिये स्थगित कर दी।

सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के पश्चात् 3:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

उत्तराखण्ड में गत वर्ष आई आपदा के संबंध में नियम-310 की सूचना की ग्राह्यता पर निम्न मा0 सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किया।

1. श्री मदन कौशिक,
2. श्री विशन सिंह चुफाल,
3. श्री तीरथ सिंह रावत,
4. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना,
5. श्री माल चन्द,
6. श्री गणेश जोशी

चर्चा जारी रहेगी।

(समयः अपराह्न 04:00 बजे)

वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगे प्रस्तुत की।

आपदा के संबंध में नियम-310 पर ग्राह्यता पर श्री गणेश जोशी ने अपने विचार आगे व्यक्त किए। इसके अतिरिक्त श्री दिलीप सिंह रावत ने भी उक्त सूचना पर अपने विचार व्यक्त किये। मा0 मुख्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में गन्ना किसानों को मन्ने का मूल्य भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना की ग्राह्यता के संबंध में श्री मदन कौशिक एवं श्री आदेश चौहान ने अपने विचार व्यक्त किए। मा0 मुख्यमंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश के जनपद उधमसिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही बिजली की भारी कटौती से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना की ग्राह्यता के संबंध में श्री राजेश शुक्ला ने अपने विचार व्यक्त किए। मा0 संसदीय कार्य-मंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में वन अधिनियम के कारण कई प्रस्तावित सड़कें, बिजली एवं पानी की योजनाएं न बन पाने पाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के संबंध में श्री दीलीप सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। मा0 संसदीय कार्य-मंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के सुगम क्षेत्रों में हाईस्कूलों एवं इण्टर कालेजों में लम्बे समय से रिक्त चल रहे एल0टी0 व प्रवक्ताओं के पदों को भरने विषयक सूचना की ग्राहयता के संबंध में श्री चन्दन राम एवं श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने अपने विचार व्यक्त किए। मा0 शिक्षा मंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर खनन पट्टे स्वीकृत न होने से हो रही कठिनाइयों विषयक सूचना की ग्राह्यता के संबंध में श्री माल चन्द ने अपने विचार व्यक्त किए। मा0 मुख्यमंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत 06 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से-

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनाली छीना के प्रा0 वि0 जिगुड़ा का भवन क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रीय जनता में उत्पन्न आक्रोष के सम्बन्ध में श्री विशन सिंह चुफाल की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु तथा

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर का एक मात्र राजमार्ग लक्ष्मणझूला-कांडी दुगड्डा धूमाकोट मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती विजय बड़थ्वाल की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार की जाती है।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

सदन की कार्यवाही 07 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
गोविन्द सिंह कुंजवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।